न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 72/2017

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 27/09/2017

निर्णय दिनांक : 23/12/2020

अर्जून लाल पुत्र स्व0 नारायण लाल जाति कुमावत (कुम्हार) निवासी रामदेव बाबा की ढाणी, गोपालपुरा रोड ग्राम उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

—— प्रार्थी

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र स्व0 नारायण लाल जाति कुमावत(कुम्हार) निवासी रामदेव बाबा की ढाणी, गोपालपुरा रोड ग्राम उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
2. गिरधारी पुत्र स्व0 नारायण लाल जाति कुमावत(कुम्हार) निवासी रामदेव बाबा की ढाणी, गोपालपुरा रोड ग्राम उगरियावास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
3. एस.बी.बी.जे (परिवर्तित एस.बी.आई) जरिये प्रबन्धक शाखा बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर
4. पी.एन.बी जरिये शाखा हिरनोदा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
5. तहसीलदार मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री हनुमानप्रसाद चौधरी
श्री महेश कुमार चौधरी
श्री भैरूलाल शर्मा
श्री त्रिलोकेश सिंह चौधरी
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

श्री हरीश कुमार साहू
श्री ओ.पी. तंवर
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2
प्रतिवादी संख्या 3 व 4 फोरमल पक्षकार।
अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 23/12/2020

– निर्णय –

सहायक कलक्टर (राज.)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण स्वर्गीय नारायण के जायन्दा पुत्र एवं सगे भाई है। जिनकी खातेदारी कि भूमि खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1727/2694 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1723/2693 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1728/2701 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729/2696 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729/2702 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729/2703 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1731 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3038/2695 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3039/2697 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 2.73 हैक्टेयर वाके ग्राम उगरियावास पटवार हल्का उगरियावास भू.अभि.नि. क्षेत्र बोराज तहसील मौजमाबाद में स्थित है। उपरोक्त भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 2/3 हिस्सा है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा मनबट के आधार पर अपनी अपनी भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा इसी भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने अपने पृथक मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 बहुत ही बदमाश किस्म का व्यक्ति है जो आये दिन झगडा करता है तथा प्रार्थी कि कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करता है, प्रार्थी द्वारा टोकने पर मरने मारने कि धमकि देता है तथा अपने हिस्से कि अविभाजित भूमि बदमाश किस्म के व्यक्तियो को बेचकर प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा करवा कर विशिश्ट भू भाग पर निर्माण करवा कर प्रार्थी को बेदखल करने कि आये दिन धमकि देता रहता है। दिनांक 05/09/2017 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा करीब 5–6 बदमाश किस्म के व्यक्तियो को उपरोक्त भूमि पर लेकर आया तथा सम्पूर्ण भूमि अपनी बताते हुए विक्रय हेतु इकरारनामा करने बाबत बात करने लगा। उन लोगो के जाने के बाद प्रार्थी ने अप्रार्थी सख्या 1 से सम्पूर्ण भूमि अपनी बता इकरारनामें बाबत पूछा तो अप्रार्थी संख्या 1 भडक गया तथा प्रार्थी से गाली गलौच करने लगा तथा सम्पूर्ण भूमि को बिना विभाजन के ही भू माफिया किस्म के लोगो को बेचकर प्रार्थी की भूमि तथा रोड साइड कि भूमि पर कब्जा करवाने तथा झुठे मुकदमों में फसाने कि धमकि देने लगा प्रार्थी द्वारा समझाने का प्रयास करने पर अप्रार्थी संख्या 1 ओर भडक गया तथा अपना चौपहीया वाहन चला कर प्रार्थी व उसके परिवार पर चढाने कि धमकी देने लगा। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 व अन्य

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

परिवार जन द्वारा समझाने पर अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को धमकि दी की वह एक महीने में प्रार्थी कि भूमि पर अपने बदमाश किस्म के मित्रो के साथ मिलकर कब्जा कर लेगा तथा रोड साइड कि भूमि पर दुकानों का निर्माण करेगा तथा प्रार्थी को बर्बाद करके छोडेगा। यदि अप्रार्थी अपने उद्देश्यों में सफल हो जायेगा तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी, इसलिये यह प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि विवादित आराजीयात ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अखैपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर की खसरा नम्बर 1727 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1727/2694 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1723/2693 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1728/2701 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729 रकबा 0.65 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729/2696 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729/2702 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1729/2703 रकबा 0.45 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1731 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1732 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3038/2695 रकबा 0.01 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 3039/2697 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 2.73 हैक्टेयर वाके ग्राम उगरियावास पटवार हल्का उगरियावास भू.अभि.नि. क्षेत्र बोराज तहसील मौजमाबाद में प्रार्थी के 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी नही करें, न ही उक्त भूमि के किसी विशिष्ट भू भाग का विक्रय आदि करें न ही उक्त भूमि का बिना विभाजन कराये बिना किसी विशिष्ट भू भाग पर कच्चा पक्का निर्माण नही करें उक्त विवादित आराजीयात की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावें। इस आशय की तहरीर जारी की जायें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 10/09/2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हरीश कुमार साहू एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 फोरमल पक्षकार है। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी साक्ष्य साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 2 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, नक्शा ट्रेस का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या केस</u>– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 14 के प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। विवादित आराजीयात पक्षकारान की कानूनी रूप से अविभाजित आराजीयात हैं, चूंकि पक्षकारान के मध्य अभी आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन नही हो रखा है, इसलिये कानूनन जब तक विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से तकासमा नही हो जाता तब तक विवादित आराजीयात में प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारान का हक व हिस्सा निहित होता है, इसलिये जब तक विभाजन नही हो जाता कानूनन अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित होगा, क्योंकि दौरान वाद अप्रार्थीगण जो कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार है, उनके द्वारा यदि आराजी का बैचान किया जाता है या प्रार्थी को बेदखल किया जाता है, तो प्रकरण में बेवजह पेचीदगीयां बढेगी, इसलिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में प्रबल साबित होता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि चूंकि पक्षकारान विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से पक्षकारान के मध्य विवाद विवादित आराजीयात का कानूनी रूप से विभाजन नही होना प्रतीत होता हैं चूंकि विभाजन के प्रश्न का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा, लेकिन तब तक यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो वे आराजीयात को खुर्दबुर्द कर सकते है, जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

बढेगी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाते है, यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है, जिसको प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी विवादित आराजी खाता संख्या 76 के आराजी खसरा नम्बर 1727, 1727/2694, 1723/2693, 1728/2701, 1729, 1729/2696, 1729/2702, 1729/2703, 1730, 1731, 1732, 3038/2695, 3039/2697 कुल किता 13 कुल रकबा 2.7300 हैक्टेयर वाके ग्राम उगरियावास, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें तथा न ही उक्त भूमि के किसी विशिष्ट भू–भाग का विक्रय आदि करें तथा न ही किसी प्रकार का निर्माण करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
दूदू (जयपुर)